

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार, 06 अगस्त, 2025/15 श्रावण, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Dated, the 29th July, 2025

No. HHC/Estt. 3(716)/2009—03 days earned leave *w.e.f.* 14-07-2025 to 16-07-2025 is hereby sanctioned, *ex-post-facto*, in favour of Smt. Asha Thakur, Court Master of this Registry. 98–रাजपत्र / 2025–06–08–2025 (4477)

Certified that Smt. Asha Thakur has joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Smt. Asha Thakur would have continued to officiate the same post of Court Master but for her proceeding on leave.

By orde	er,
Sci	1/-
Registrar Genera	al.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 29th July, 2025

No. HHC/Estt.3(517)/2001-I.—16 days commuted leave w.e.f. 07-07-2025 to 22-07-2025 is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Smt. Mamta Rao, Secretary of this Registry.

Certified that Smt. Mamta Rao has joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Smt. Mamta Rao would have continued to officiate the same post of Secretary but for her proceeding on leave.

By order, Sd/-Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 29th July, 2025

No. HHC/GAZ/14-393/2019.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant *ex-post-facto* sanction of 05 days' earned leave *w.e.f.* 16-06-2025 to 20-06-2025 with permission to prefix 2nd Saturday and Sunday falling on 14-06-2025 and 15-06-2025 in favour of Dr. Yudh Veer Singh, Civil Judge-*cum*-JMFC, Court No. 1, Sarkaghat, H.P.

Certified that Dr. Yudh Veer Singh had joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Dr. Yudh Veer Singh would have continued to hold the post of Civil Judge-*cum*-JMFC, Court No. 1, Sarkaghat, but for his proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 29th July, 2025

No. HHC/GAZ/14-406/2020.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant *ex-post-facto* sanction of 02 days commuted leave for 05-07-2025 and 06-07-2025 in favour of Ms. Megha Sharma, Civil Judge-*cum*-JMFC, Jogindernagar, District Mandi, H.P.

Certified that Ms. Megha Sharma had joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Megha Sharma would have continued to hold the post of Civil Judge-*cum*-JMFC, Jogindernagar, but for her proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/-Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 31st July, 2025

No. HHC/Admn.16(18)96-II.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1906, Section 333(1)(b) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 and Rule 5(vi) of the H.P Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007, has been pleased to appoint Ms. Khusboo (HIM/779/2023), Ms. Mukta Sharma (HIM/445/2023) and Sh. Tarunesh Damalu (HIM/901/2023), Advocates as Oath Commissioners at Rampur Bushahr, H.P., for a period of two years with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.

By order of Hon'ble the Chief Justice, Sd/-Registrar (Administration).

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 31st July, 2025

No. HHC/Admn.16(18)96-II.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, Section 333(1)(b) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment &

Control) Rules, 2007, has been pleased to appoint Ms. Menika (HIM/85/2024) and Ms. Rakshika Kumari (HIM/411/2024), Advocates as Oath Commissioners at Reckong Peo, H.P., for a period of two years *w.e.f.* **30-08-2025** for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.

By order of Hon'ble the Chief Justice, Sd/-Registrar (Administration).

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 31st July, 2025

No. HHC/Admn.16(18)96-II.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, Section 333(1)(b) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007, has been pleased to appoint S/Sh. Ravi Kant (HIM/211/2018) and Praveen Kumar (HIM/216/2023), Advocates as Oath Commissioners at Reckong Peo, H.P., for a period of two years with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.

By order of Hon'ble the Chief Justice, Sd/-Registrar (Administration).

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 30th July, 2025

No. HHC/Estt. 3(406)/95-II.—06 days commuted leave w.e.f. 14-07-2025 to 19-07-2025 with permission to suffix Sunday on 20-07-2025 is hereby sanctioned, *ex-post-facto*, in favour of Shri Gopal Sawroop Kaushal, Deputy Registrar of this Registry.

Certified that Shri Gopal Sawroop Kaushal has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Gopal Sawroop Kaushal would have continued to officiate the same post of Deputy Registrar but for his proceeding on leave.

By order, Sd/-Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 29th July, 2025

No. HHC/GAZ/14-301/08-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 08 days' earned leave *w.e.f.* 01-08-2025 to 08-08-2025 with permission to suffix 2nd Saturday and Sunday falling on 09-08-2025 and 10-08-2025 in favour of Sh. Nitin Mittal, Additional District and Sessions Judge, Fast Track Special Court (POCSO), Kangra at Dharamshala.

Certified that Sh. Nitin Mittal is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Nitin Mittal, would have continued to hold the post of Additional District and Sessions Judge, Fast Track Special Court (POCSO), Kangra at Dharamshala but for his proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 30th July, 2025

No. HHC/GAZ/14-396/2019.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant *ex-post-facto* sanction of 03 days' commuted leave *w.e.f.* 19-05-2025 to 21-05-2025 in favour of Sh. Sumit Thakur, Civil Judge-*cum*-JMFC, Tissa, Distt. Chamba, H.P.

Certified that Sh. Sumit Thakur had joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Sumit Thakur would have continued to hold the post of Civil Judge-cum-JMFC, Tissa, but for his proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-*Registrar General.*

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 29th July, 2025

No. HHC/Admin. 6 (23)/74-XVII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to

declare the Additional District and Sessions Judge-1, Kangra at Dharamshala as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Additional District and Sessions Judge, Fast Track Special Court (POCSO), Kangra at Dharamshala and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of Class-II to IV establishments attached to the aforesaid Court under Major head "2014—Administration of Justice" during the earned leave period of Sh. Nitin Mittal, Additional District and Sessions Judge, Fast Track Special Court (POCSO), Kangra at Dharamshala w.e.f. 01-08-2025 to 08-08-2025 with permission to suffix 2nd Saturday and Sunday falling on 09-08-2025 and 10-08-2025 or till he returns from leave.

By order, Sd/-

Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 1st August, 2025

No. HHC/Admn.16(13)74-XII.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, Section 333(1)(b) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007, has been pleased to appoint Ms. Pooja Thakur (HIM/161/2023) Advocate, as Oath Commissioners at District Courts, Chakkar, Shimla, for a period of two years with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.

By order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd/Registrar (Administration).

ब अदालत जनाब उप—मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)

ब मुकदमाः श्री साहिल काश्व पुत्र श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव नालग, डाकघर बैरी रजादियां, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

व

श्रीमती श्वेता पुत्री श्री बनवारी लाल, निवासी वार्ड नं0 2, पुराना कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र बराये विवाह पंजीकरण करवाने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री साहिल काश्व पुत्र श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव नालग, डाकघर बैरी रजादियां, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती श्वेता पुत्री श्री बनवारी लाल, निवासी वार्ड नं0 2, पुराना कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में संयुक्त तौर पर प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार उन्होंने व्यक्त किया है कि उन्होंने दिनांक 02—03—2018 को व्यवस्थित विवाह हिन्दू रीति रिवाजों के अनुसार किया है तथा इसकी प्रविष्टि समयबद्ध स्थानीय पंजीयक के रिकार्ड में दर्ज नहीं है। अतः विलम्बित अविध को मर्जित करके उक्त विवाह की प्रविष्टि हेतु सचिव, ग्राम पंचायत बरमाणा, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को निर्देश दिये जावें।

अतः आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण के विवाह की प्रविष्टि दिनांक 02–03–2018 को दर्ज करने बारा यदि कोई एतराज हो तो वह दिनांक 24–08–2025 या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपस्थित होवें। अन्यथा श्री साहिल काश्व पुत्र श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव नालग, डाकघर बैरी रजादियां, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती श्वेता पुत्री श्री बनवारी लाल, निवासी वार्ड नं0 2, पुराना कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के विवाह की प्रविष्टि करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत बरमाणा, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को आदेश जारी कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 24-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – उप–मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप—तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

कौश्लया देवी पुत्री श्री अमर चन्द, गांव बड़ोता, डाकघर चण्ड़ी, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत चण्डी, विकास खण्ड चम्बा

ं प्रतिवादी।

विषय.—–जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप—मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 4281/2025 दिनांक 28–07–2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2025/15955, दिनांक 24–07–2025, (2) शपथ पत्र आवेदिका, (3) शपथ—पत्र वाशिन्दगान देह, (4) जन्म रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता प्रमाण—पत्र, (6) परिवार रजिस्टर नकल, (7) वोटर कार्ड, (8) आधार कार्ड, जिसमें आवेदिका कौश्लया देवी पुत्री श्री अमर चन्द, गांव बड़ोता, डाकघर चण्ड़ी, ग्राम पंचायत चण्ड़ी, उप—तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्ही कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका कौश्लया देवी पुत्री श्री अमर चन्द, गांव बड़ोता, डाकघर चण्ड़ी का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ—पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण—पत्र जो दिनांक 24—07—2025 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कौश्लया देवी पूत्री श्री अमर चन्द, गांव बडोता, डाकघर चण्डी, उप–तहसील पूखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 01–07–1973 जन्म एवं मृत्यू पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यू) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सुरत में आवेदिका कौश्लया देवी पुत्री श्री अमर चन्द, गांव बडोता, डाकघर चण्डी की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव चण्डी को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 29-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –

नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि०प्र०)।

ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री कैलाश चन्द पुत्र श्री विधया राम, गांव घाड़ी, डाकघर राजनगर, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ः वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत रूपणी, विकास खण्ड चम्बा

ं प्रतिवादी।

विषय.--मृत्यु तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना०) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 4278/2025 दिनांक 28-07-2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024/15949, दिनांक 24-07-2025, (2) शपथ पत्र आवेदक, (3) शपथ-पत्र वाशिन्दगान देह (4) मृत्यू रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता प्रमाण–पत्र, (6) प्रधान रिपोर्ट जिसमें श्री कैलाश चन्द पुत्र श्री विधया राम, गांव घाड़ी, डाकघर राजनगर, उप-तहसील पुंखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के चाचा श्री कर्मू पुत्र श्री चेत्, ग्राम पंचायत रूपणी की मृत्यू तिथि किन्ही कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत मृत्यू पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक के चाचा श्री कर्मू पुत्र श्री चेतु, ग्राम पंचायत रूपणी की मृत्यु तिथि दर्ज न हुई है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि प्रधान रिपोर्ट व जारी मृत्यु रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 24-07-2025 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कर्मू पुत्र श्री चेत्, ग्राम पंचायत रूपणी, परगना राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, की मृत्यु तिथि 12-02-2004 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यू) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक के चाचा श्री कर्मू पुत्र श्री चेत्, ग्राम पंचायत रूपणी परगना राजनगर की मृत्यू तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव रूपणी को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 29–07–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / — नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप—तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि०प्र०)।

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Chamba, District Chamba (H. P.)

Rahul Mahajan s/o Mohan Mahajan, resident of Mohalla & P.O. Hardaspura, Tehsil & District Chamba (H. P.)

and

Chandani d/o Late Sh. Rattan Chand, resident of VPO Panjoh, Tehsil & District Chamba, H.P.

Versus

The General Public

Subject.— Registration of Marriage under Section 8(4) of the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 (Act No. 21 of 1997).

Whereas, the above named applicants have made an application before me under section 8(4) of H.P. Registration of Marriages Act, 1996 alongwith relevant records and affidavits stating therein that they have solemnized their marriage on 22-02-2023 at their place of residence with prevailing rites and customs but due to some un-avoidable circumstances it could not be entered in the records of Gram Municipal Council Chamba, Distt. Chamba, H.P. well in time.

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the registrar of marriage and now, therefore, necessary orders for the registration of their marriage be passed, so that their marriage could be registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if, anyone has any objection regarding the registration of marriage of above named applicants, they should appear before the undersigned in my court on or before 28-08-2025 at 2.00 P.M. either personally or through their authorised agent/pleader.

In the event of their failure to do so, orders shall be passed *ex-parte* for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the Court on this 28-07-2025

Sd/-(PRIYANSHU KHATI, IAS), Sub-Divisional Magistrate, Chamba, District Chamba (H.P.).

Seal.

कार्यालय नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, राजा का तालाब, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं0 : 04 / एन.टी. / आर.के.टी.

तारीख पेशी : 20-08-2025

उनवान मुकद्दमा :

सतिन्द्र कुमार

बनाम

कृष्णा देवी आदि।

विषय.--मुश्त्री / मुनादी व चस्पांगी करवाये जाने सम्बन्धी।

नोटिस बनाम

1. कृष्णा देवी पुत्री गुरदिता, 2. कुशल कुमार पुत्र सुर्दशना देवी, 3. अजय कुमार पुत्र सुर्दशना देवी, 4. रिम्पी शर्मा पुत्री सुर्दशना देवी 5. पुष्प शर्मा पुत्र शिवकर्ण, 6. अक्षित शर्मा पुत्र शिवकर्ण, 7. नीलम देवी पत्नी शिवकर्ण, 8. विकास पठानिया पुत्र कुलदीप सिंह, 9. अनुराधा पुत्री कुलदीप सिंह, 10. कचंन वाला पुत्री कुलदीप सिंह, 11. अनिल देवी पत्नी कुलदीप सिंह, 12. युद्धवीर सिंह पुत्र गर्धव सिंह, 13. सुशीला देवी पुत्री गर्धव सिंह, 14. प्रदीप कुमार पुत्र अमर नाथ, 15. अजय कुमार पुत्र अमर नाथ, 16. राम सिंह पुत्र कर्म चन्द, 17. गणेश कुमार पुत्र कर्म चन्द, 18. संतोष कुमारी पुत्री कर्म चन्द, 19. पासो देवी पुत्री कर्म चन्द, 20. शशी वाला पुत्री कर्म चन्द, निवासी गांव व डाकघर लाडथ, उप—तहसील राजा का तालाब।

उक्त मुकद्दमा में प्रतिवादी / प्रतिवादीगण उपरोक्त की तलवी के लिये इस अदालत द्वारा साधारण तरीके से कई बार इस अदालत में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किए गए परन्तु साधारण तरीके से तामील न हो पा रही है, जिस कारण प्रतिवादी / प्रतिवादीगण की तामील न होने पर उक्त केस में अग्रिम कार्यवाही करने में विलम्ब हो रहा है।

अतः इस नोटिस इश्तहार के माध्यम से उपरोक्त प्रतिवादी / प्रतिवादीगण / हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वह / वे उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु दिनांक 20—08—2025 को समय 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आवें, अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार हस्ब जाबता कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 23-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / — नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, राजा का तालाब, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

कार्यालय नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, राजा का तालाब, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं0 : 05 / एन.टी. / आर.के.टी.

तारीख पेशी : 20—08—2025

उनवान मुकद्दमा :

सतिन्द्र कुमार

बनाम

कृष्णा देवी आदि।

विषय.—-मुश्त्री / मुनादी व चस्पांगी करवाये जाने सम्बन्धी।

नोटिस बनाम

1. कृष्णा देवी पुत्री गुरदिता, 2. कुशल कुमार पुत्र सुर्दशना देवी, 3. अजय कुमार पुत्र सुर्दशना देवी, 4. रिम्पी शर्मा पुत्री सुर्दशना देवी 5. विकास पठानिया पुत्र कुलदीप सिंह, 6. अनुराधा पुत्री कुलदीप सिंह, 7. कचंन वाला पुत्री कुलदीप सिंह, 8. अनिल देवी पत्नी कुलदीप सिंह, 9. युद्धवीर सिंह पुत्र गर्धव सिंह, 10. सुशीला देवी पुत्री गर्धव सिंह, 11. प्रदीप कुमार पुत्र अमर नाथ, 12. अजय कुमार पुत्र अमर नाथ, 13. राम सिंह पुत्र कर्म चन्द, 14. गणेश कुमार पुत्र कर्म चन्द, 15. संतोष कुमारी पुत्री कर्म चन्द, 16. पासो देवी पुत्री कर्म चन्द, 17. शशी वाला पुत्री कर्म चन्द, 18. उतम चन्द पुत्र कांशी राम, निवासी गांव व डाकघर लाडथ, उप—तहसील राजा का तालाब।

उक्त मुकद्दमा में प्रतिवादी / प्रतिवादीगण उपरोक्त की तलवी के लिये इस अदालत द्वारा साधारण तरीके से कई बार इस अदालत में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किए गए परन्तु साधारण तरीके से तामील न हो पा रही है, जिस कारण प्रतिवादी / प्रतिवादीगण की तामील न होने पर उक्त केस में अग्रिम कार्यवाही करने में विलम्ब हो रहा है।

अतः इस नोटिस इश्तहार के माध्यम से उपरोक्त प्रतिवादी / प्रतिवादीगण / हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वह / वे उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु दिनांक 20—08—2025 को समय 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आवें, अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार हस्ब जाबता कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 23-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / — नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, राजा का तालाब, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

ब अदालत श्री दीपक शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

श्रीमती सुषमा पत्नी मदन लाल, निवासी गांव भटोली पकवा, डाकघर सुनहारा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

ं प्रतिवादी।

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भाटिया में जन्म पंजीकरण करने बारे। श्रीमती सुषमा पत्नी मदन लाल, निवासी गांव भटोली पकवा, डाकघर सुनहारा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा ने अदालत हजा में एक प्रार्थना—पत्र बाबत ग्राम पंचायत भाटिया के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत अपनी बेटी की जन्म तिथि दर्ज करने बारे गुजारा है। प्रार्थिया ने निवेदन किया है कि उनकी बेटी का नाम व जन्म दिनांक 23—04—2011 को हुआ है, परन्तु ग्राम पंचायत भाटिया के जन्म एवं मृत्यु रिजस्टर में जन्म तिथि नियमानुसार समय पर पंजीकृत नहीं करवाई गई। इसलिए अब ग्राम पंचायत भाटिया के जन्म एवं मृत्यु रिजस्टर में दर्ज करने के आदेश दिये जायें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया की बेटी की जन्म तिथि पंजीकरण करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 26–08–2025 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा प्रार्थिया की बेटी का जन्म पंजीकृत करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

मोहर।

हस्ताक्षरित / — कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

ब अदालत श्री दीपक शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : / नाम दुरुस्ती / 2025

श्री वावी उपनाम करन देव पुत्र देश राज, गांव व डाकघर ज्वाली, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम्।

प्रार्थना—पत्र बाबत नाम दुरुस्ती जेर धारा 37(2) हि०प्र० भू—राजस्व अधिनियम, 1954.

प्रार्थी श्री वावी उपनाम करन देव पुत्र देश राज, गांव व डाकघर ज्वाली, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने अदालत हजा में प्रार्थना—पत्र गुजारा है कि उनका नाम आधार कार्ड व मैं दर्ज है, जबिक राजस्व रिकार्ड महाल घमेटा, तहसील फतेहपुर में प्रार्थी का नाम वावी दर्ज है व वावी व करन देव एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम वावी उपनाम करन देव दर्ज किया जाए। इस आशय की पुष्टि में प्रार्थी ने प्रार्थना—पत्र के साथ अपना आधार कार्ड Driving License व नकल जमाबन्दी, महाल सुनेहड, पटवार वृत्त ज्वाली, तहसील ज्वाली की छायाप्रति संलग्न की है।

अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को श्री वावी उपनाम करन देव पुत्र देश राज, गांव व डाकघर ज्वाली, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 के आवेदन बराये दुरुस्ती नाम राजस्व रिकार्ड महाल घमेटा खास तहसील फतेहपुर सूचित किया जाता है। यदि किसी भी व्यक्ति को प्रार्थी के आवेदन के प्रति कोई आपित्त है तो वह दिनांक 26—08—2025 को असालतन व वकालतन इस कार्यालय में हाजिर आकर अपनी आपित्त दर्ज करवा सकता है। अन्यथा प्रार्थी के नाम दुरुस्ती दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री अजय शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप–तहसील रे, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

केस नं0 : 01 / दुरुस्ती / एन.टी. / 2024

तारीख पेशी : 25-08-2025

1. श्री काकू राम पुत्र मेहर सिंह, गांव मलहन्ता, डाकघर दियाणा, उप—तहसील रे, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

ं फरीकदोयम्।

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 38(2) नाम दुरुस्ती हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे।

श्री काकू राम पुत्र मेहर सिंह, गांव मलहन्ता, डाकघर दियाणा, उप—तहसील रे, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अदालत हजा में एक प्रार्थना—पत्र बाबत नाम दुरुस्ती हेतु गुजारा है कि प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का नाम उसके स्कूल शिक्षा प्रमाण—पत्र व आधार कार्ड में व पंचायत रिकार्ड में काकू राम पुत्र मेहर सिंह दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल मलहन्ता में काका राम पुत्र मेहरो पुत्र जगता दर्ज है जिसे प्रार्थी उपरोक्त अभिलेख के अनुसार काका राम पुत्र मेहरो की बजाये काकू राम पुत्र मेहर सिंह पुत्र जगता दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी को प्रार्थी उक्त के नाम को महाल हजा में दुरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 25—08—2025 को प्रातः 10 बजे असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा प्रार्थी के नाम काकू राम पुत्र मेहर सिंह पुत्र जगता, महाल मलहन्ता, उप—तसहील रे, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 को राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करने बारा आदेश पारित कर दिए जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रे, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री विजय कुमार शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 01 / ना / 2025

किरम मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण

तारीख पेशी : 25–08–2025

रेखा देवी पुत्री स्व0 नारायण दास, गांव व डाकघर हरोट, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 हाल पत्नी सुभाष चन्द पुत्र छगणु राम, गांव रोपड़ी, डाकघर महाराजनगर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 बनाम

आम जनता

प्रतिवादीगण।

विषय.——प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बाबत जन्म पंजीकरण बारे।

इश्तहार मुश्त्री मुनादी।

रेखा देवी पुत्री स्व0 नारायण दास, गांव व डाकघर हरोट, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना—पत्र हल्फी ब्यान पेश किया व आवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 05—05—1971 को गांव व डाकघर हरोट, ग्राम पंचायत हरोट, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा में हुआ है, इस सन्दर्भ में प्रार्थिया ने अपना शपथ—पत्र भी संलग्न किया है, परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थिया के घरवालों द्वारा जन्म पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत हरोट के अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। अतः प्रार्थिया न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने का आदेश स्थानीय ग्राम पंचायत हरोट को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त रेखा देवी पुत्री रोशनी देवी पत्नी स्व0 नारायण दास, गांव व डाकघर हरोट, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के जन्म तिथि 05–05–1971 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 25–08–2025 को दोपहर 02.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त जन्म पंजीकरण दर्ज करने के आदेश उप—स्थानीय पंजीकार जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत हरोट को जारी कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 25-07-2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

Before the Marriage Officer-cum-Sub Divisional Officer, Tehsil Dheera (H.P.)

In Ref.:

Sheetal Sharma & Seema

Versus

General Public

Application for Registration of marriage under section 16 of the Special Marriage Act, 1954.

An application under section 16 of the Special Marriage Act, 1954 has been received by the undersigned from Seetal Sharma s/o Sh. Sushil Kumar Sharma, r/o Village Nanwalkar, P.O. Naura,

Tehsil Dheera, Distt. Kangra (H.P.) Pin Code-176 084 and Seema (D.O.B. 04-11-1990) d/o Sh. Om Prakash, r/o VPO Jalpehar, Tehsil Joginder Nagar, District Mandi (H.P.). If there is any objection on this marriage, the objection in person or through counsel be submitted to this office on or before 03-09-2025 otherwise will be registered.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer—cum-Sub-Divisional Officer, Dheera, District Kangra (H.P.).

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप—तहसील उदयपुर, जिला लाहौल—स्पीति (हि0प्र0)

संख्या : 22 / NCNT / 2025

तारीख मरज्आ : 16-07-2025

वीर भद्र पुत्र शिव दयाल, निवासी गांव सिन्दवाडी, उप—तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

ं प्रत्यार्थी ।

प्रार्थना पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

इस मुकद्दमें का संक्षिप्त सार यह है कि उपरोक्त वीर भद्र पुत्र शिव दयाल, निवासी गांव सिन्दवाडी, उप—तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया है कि राजस्व अभिलेख के महाल D.P.F. भियाडी व महाल सिन्दवाडी में प्रार्थी का नाम वीर बहादुर दर्ज कागजात है, जोकि गलत हैं जबकि शपथ—पत्र व संलग्न दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी का नाम वीर भद्र है जो सही है। अब प्रार्थी महाल D.P.F. भियाडी व महाल सिन्दवाडी के राजस्व अभिलेख में अपना नाम दुरुस्त कर वीर भद्र करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह इश्तहार के प्रकाशित होने के एक महीने के भीतर अदालत हजा में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है अन्यथा यह समझा जायेगा कि किसी भी सम्बन्धित व्यक्ति को इस मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज न है तथा आवेदन पत्र को अन्तिम रूप दिया जायेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 16-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उदयपुर, उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल–स्पीति (हि०प्र०)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप—तहसील उदयपुर, जिला लाहौल—स्पीति (हि0प्र0)

संख्या : 23 / NCNT / 2025 तारीख मरजुआ : 24-07-2025

डोला राम पुत्र गुल्लू, निवासी गांव सलग्रा, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति (हि०प्र०)

बनाम

आम जनता

ं प्रत्यार्थी।

प्रार्थना पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

इस मुकद्दमें का संक्षिप्त सार यह है कि उपरोक्त डोला राम पुत्र गुल्लू, निवासी गांव सलग्रा, उप—तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया है कि राजस्व अभिलेख के महाल D.P.F.लौहणी में प्रार्थी का नाम डुला दर्ज कागजात है, जोकि गलत है जबकि शपथ—पत्र व संलग्न दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी का नाम डोला राम है जो सही है। अब प्रार्थी महाल D.P.F. लौहणी के राजस्व अभिलेख में अपना नाम दुरुस्त कर डोला राम करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मुकदमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह इश्तहार के प्रकाशित होने के एक महीने के भीतर अदालत हजा में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है अन्यथा यह समझा जायेगा कि किसी भी सम्बन्धित व्यक्ति को इस मुकदमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज न है तथा आवेदन पत्र को अन्तिम रूप दिया जायेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 26-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उदयपुर, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पीति (हि०प्र०)।

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Rajgarh, District Sirmaur, Himachal Pradesh

Kunal Kashyap s/o Sh. Basti Ram, r/o Village Thandidhar, Post Office Jadol Taproli, Sub-Tehsil Pajhota at Nohri, District Sirmaur, H.P.

and

Ramla Devi d/o Sh. Madan Singh, r/o Village Runja, Post Office Pulbahal, Tehsil Chopal, District Shimla, H.P.

Versus

General Public

Whereas, Kunal Kashyap s/o Sh. Basti Ram, r/o Village Thandidhar, Post Office Jadol Taproli, Sub-Tehsil Pajhota at Nohri, District Sirmaur, H.P. has submitted an application alongwith

affidavits from himself and his wife, stating that he solemnized his marriage with Ramla Devi d/o Sh. Madan Singh, r/o Village Runja, Post Office Pulbahal, Tehsil Chopal, District Shimla, H.P. as per Hindu rites and customs at Home on 20-02-2025, in the presence of his relatives. He has requested that his marriage be registered in the records of Gram Panchayat Jadol Taproli, Sub-Tehsil Pajhota at Nohri, District Sirmaur, H.P.

Notices are hereby issued to all concerned and the general public. If anyone has any objection regarding the registration of the marriage solemnized between Sh. Kunal Kashyap aged 31 years and Smt. Ramla Devi aged 32 years they must file their written objections and appear personally or through an authorized representative before the undersigned on or before 18-08-2025.

Failing this, it will be presumed that there are no objections and necessary orders will be issued to the Secretary, Gram Panchayat Jadol Taproli, Sub-Tehsil Pajhota at Nohri, District Sirmaur, H.P., for registration of the marriage.

Given under my hand and seal of the court today on 17-07-2025.

Seal. Sd/-

Sub-Divisional Magistrate, Rajgarh, District Sirmaur (H.P.).

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Rajgarh, District Sirmaur, Himachal Pradesh

Naveen Kumar s/o Sh.Chattar Singh, r/o Flat No. 304, GH 7, Sector 27, Panchkula, Haryana.

and

Kalpna d/o Sh. Choli Ram, r/o Village & Post Office Deothi Majgaon, Sub-Tehsil Pajhota at Nohri, District Sirmaur, H.P.

Versus

General Public

Whereas, Sh. Naveen Kumar s/o Sh. Chattar Singh, r/o Flat No. 304, GH 7, Sector 27, Paanchkula, Haryana has submitted an application alongwith affidavits from himself and his wife, stating that he solemnized his marriage with Kalpna d/o Sh. Choli Ram, r/o Village & Post Office Deothi Majgaon, Sub-Tehsil Pajhota at Nohri, District Shimla, H.P. as per Hindu rites and customs at Home on 08-12-2016, in the presence of his relatives. He has requested that his marriage be registered in the records of Gram Panchayat Deothi Majgaon, Sub-Tehsil Pajhota at Nohri, District Sirmaur, H.P.

Notices are hereby issued to all concerned and the general public. If anyone has any objection regarding the registration of the marriage solemnized between Sh. Naveen Kumar aged 51 years and Smt. Kalpna aged 44 years they must file their written objections and appear personally or through an authorized representative before the undersigned on or before 18-08-2025.

Failing this, it will be presumed that there are no objections and necessary orders will be issued to the Secretary, Gram Panchayat Deothi Majgaon, Sub-Tehsil Pajhota at Nohri, District Sirmaur, H.P., for registration of the marriage.

Given under my hand and seal of the court today on 17-07-2025.

Seal.	Sd/-
	Sub-Divisional Magistrate,
	Rajgarh , District Sirmaur (H.P.).

In the Court of Shri Jas Pal, (H.P.A.S.), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Shillai, Sub-Division Shillai, District Sirmaur, Himachal Pradesh

In the matter of:

- Sh. Rakesh s/o Sh. Rajender Singh, r/o Village Kuraya, P.O. Kiyari Gundah, Tehsil Shillai, District Sirmaur, H.P.
- Smt. Nirmala Thakur d/o Sh. Netr Bahadur alias Netr Singh, r/o Village Ekantwari, P.O. Kandyali, Tehsil Kumarsen, District Shimla, H.P., presently residing at near Hotel D Park, Keshav Cottage, Kachi Ghati, Shimla, District Shimla, H.P.

Versus

General Public

Notice Under Section-16 of Special Marriage Act, 1954.

Whereas, Sh. Rakesh s/o Sh. Rajender Singh, r/o Village Kuraya, P.O. Kiyari Gundah, Tehsil Shillai, District Sirmaur, H.P. and Smt. Nirmala Thakur d/o Sh. Netr Bahadur alias Netr Singh, r/o Village Ekantwari, P.O. Kandyali, Tehsil Kumarsen, District Shimla, H.P., presently residing at near Hotel D Park, Keshav Cottage, Kachi Ghati, Shimla, District Shimla, H.P. have filed an applicatin for the registration of their marriage u/s 15 fo the Special Marriage Act, 1954, which was solemnized on 24-08-2021 and they have been living as husband and wife ever since then.

Notices are hereby given to all concerned and General Public to this effect if anybody has got any objection regarding the registration of marriage duly solemnized between above said Sh. Rakesh s/o Sh. Rajender Singh, r/o Village Kuraya, P.O. Kiyari Gundah, Tehsil Shillai, District Sirmaur, H.P. and Smt. Nirmala Thakur d/o Sh. Netr Bahadur alias Netr Singh, r/o Village Ekantwari, P.O. Kandyali, Tehsil Kumarsen, District Shimla, H.P., presently residing at near Hotel D Park, Keshav Cottage, Kachi Ghati, Shimla, District Shimla, H.P. they should file their written objections and should appear personally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of this court on this 25th day of July, 2025.

Seal. Sd/-(JAS PAL, (H.P.A.S.),

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Shillai, District Sirmaur (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Sunil Kumar (51) s/o Sh. Bhisham Dutt, r/o Ward No. 5, Amarpuri, P.O. Dehra, Tehsil Dehra, District Kangra (H.P.) hereby declare that in my son Vivan Modgil's academic record my name is wrongly entered as Sunil Sharma which may be corrected to Sunil Kumar.

SUNIL KUMAR s/o Sh. Bhisham Dutt, r/o Ward No. 5, Amarpuri, P.O. Dehra, Tehsil Dehra, District Kangra (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Rama (51) w/o Sh. Sunil Kumar, r/o Ward No. 5, Amarpuri, P.O. Dehra, Tehsil Dehra, District Kangra (H.P.) hereby declare that in my son Vivan Modgil's academic record my name is wrongly entered as Rama Sharma which may be corrected to Rama.

RAMA w/o Sh. Sunil Kumar, r/o Ward No. 5, Amarpuri, P.O. Dehra, Tehsil Dehra, District Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Kanika Chauhan (New Name) w/o Sh. Rakesh Jishtoo, aged about 40 years, r/o Village Kotadhar, P.O. Kharan, Tehsil Nankhari, District Shimla (H.P.) Pin-172021 declare that I have changed my name from Kanika Jishtoo (Previous Name) to Kanika Chauhan (New Name). All concerned please may note.

KANIKA CHAUHAN w/o Sh. Rakesh Jishtoo, r/o Village Kotadhar, P.O. Kharan, Tehsil Nankhari, District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Bunni *alias* Janntun Nesha, aged 50 years w/o Sh. Irshad Khan, r/o Village Rakh Ghansot, P.O. & Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) declare that before marriage my name was Bunni but after marriage my name was changed to Janntun Nesha and the same is recorded in the family register and Panchayat records. Both the names are mine. Now, I want to get my name changed as Janntun Nesha in my Aadhar Card.

BUNNI alias JANNTUN NESHA, w/o Sh. Irshad Khan, r/o Village Rakh Ghansot, P.O. & Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

	I, Udit	Dan	gi s/o S	Sh. Ra	ım Sir	ıgh, Kiy	ari (106), i	Shimla,	Kiy	ari (E	I.P.)-17	$1204 \mathrm{G}$	declare t	that I
have	changed	my	name	from	Udit	Thakur	(Previous	Name)	to	Udit	Dangi	(New	Name)	. All
conce	erned plea	ase n	nay not	e.										

UDIT DANGI s/o Sh. Ram Singh, Kiyari (106), Shimla, Kiyari (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Kansi w/o Sh. Ratti Ram, r/o Village Charain, P.O. Parala Ghund, Tehsil Theog, District Shimla (H.P.) Pin-171220 declare that I have changed my name from Bimla Devi (Old Name) to Kansi (New Name). All concerned please may note.

KANSI w/o Sh. Ratti Ram, r/o Village Charain, P.O. Parala Ghund, Tehsil Theog, District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Jahanvi d/o Sh. Vikrant Suraj, r/o Village Amboi, P.O. Thana, Tehsil Chirgaon, District Shimla (H.P.) declare that my name is wrongly mentioned as Jahanvi Shitta in my Aadhar Card and Jahanvi Shitta in educational records. Therefore it should be changed to Jahanvi in my Aadhar Card and educational records.

JAHANVI d/o Sh. Vikrant Suraj, r/o Village Amboi, P.O. Thana, Tehsil Chirgaon, District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Adhyayan s/o Sh. Vikrant Suraj, r/o Village Amboi, P.O. Thana, Tehsil Chirgaon, District Shimla (H.P.) declare that my name is wrongly mentioned as Adhyayan in my Aadhar Card and Adhayayan Shitta in educational records. Therefore it should be changed to Adhyayan in my Aadhar Card and educational records.

ADHYAYAN s/o Sh. Vikrant Suraj, r/o Village Amboi, P.O. Thana, Tehsil Chirgaon, District Shimla (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Tripta Devi w/o Late Sh. Dilbag Singh Rana, r/o Village Manwala, P.O. Polian, Tehsil Fatehpur, District Kangra (H.P.) state that in SBI Share certificates under folio No.00816262, my name is incorrectly mentioned as Trpta Rana and my husband's name as Dilbagh Singh Rana, whereas our correct names are Tripta Devi and Dilbag Singh Rana respectively.

TRIPTA DEVI w/o Late Sh. Dilbag Singh Rana, r/o Village Manwala, P.O. Polian, Tehsil Fatehpur, District Kangra (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Krishan Kumari w/o Sh. Surjan Singh, r/o Village Keran, P.O. Sunder Nagar, Tehsil Sunder Nagar, District Mandi (H.P.)declare that in my Aadhar No. 3403 1854 3146 my name is wrongly entered as Krishna Kumari, whereas my correct name is Krishan Kumari.

KRISHAN KUMARI w/o Sh. Surjan Singh, r/o Village Keran, P.O. Sunder Nagar, Tehsil Sunder Nagar, District Mandi (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Durga Devi w/o Sh. Dhale Ram, r/o Village Reukal Dhar, P.O. Kot Khamradha, Tehsil Aut, District Mandi (H.P.) declare to correct the name my son as Hitesh Thakur in place of Hatish in his Aadhar Card.

DURGA DEVI w/o Sh. Dhale Ram, r/o Village Reukal Dhar, P.O. Kot Khamradha, Tehsil Aut, District Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Judhya Devi w/o Sh. Kesari Singh, r/o Ward No. 4, V.P.O. Paplah, Tehsil Jaisinghpur, District Kangra (H.P.) declare that in my Aadhar Card my name is wrongly entered as Ajudhya Devi. That my correct name is Judhya Devi. All concerned please note.

JUDHYA DEVI w/o Sh. Kesari Singh, r/o Ward No. 4, V.P.O. Paplah, Tehsil Jaisinghpur, District Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Tikame Ram s/o Sh. Suwangi Ram, r/o Village Soiha, P.O. Panarsa, Tehsil Aut, District Mandi (H.P.) declare that Tikame Ram and Tikam Ram Sharma is the same and one person. All concerned please note.

TIKAME RAM s/o Sh. Suwangi Ram, r/o Village Soiha, P.O.Panarsa, Tehsil Aut, District Mandi (H.P.).